अलेयम्मा मथाई अल्मीडा

बनाम

गोवा राज्य व अन्य

अप्रैल 13, 2007

(सी.के. ठक्कर और वी.एस. सिरपुरकर, जे.जे.)

सेवा विधिः

पदोन्नति-विद्यालय में पदोन्नति की रिक्त निकली- अपीलकर्ता से काफी कनिष्ठ सहायक शिक्षक को प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त किया गया-शिक्षा निदेशक (डी.ओ.ई.) ने चयन को अस्वीकार कर दिया और अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की- स्कूल ने अपीलकर्ता से कनिष्ठ एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया- डी.ओ.ई. ने उपनिदेशक को सदस्य नियुक्त किया, यह सुनिश्चित करने क लिए कि स्कूल नियमों व विनियमों का पालन करता है- स्कूल ने इसे इस आधार पर चुनौती दी कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान था और इसलिए ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है- अपीलकर्ता और स्कूल दोनो ने रिट याचिकाएं दायर की - उच्च न्यायालय ने स्कूल की अल्पसंख्यक स्थिति पर विचार नहीं किया और अभिनिर्धारित किया कि तथ्यों से अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका खारिज योग्य है- अपील पर उच्च न्यायालय को मामले मे उठाए गए सभी प्रश्नों पर फैसला करना चाहिए था, जिसमे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत स्कूल की अल्पसंख्यक स्थिति का प्रश्न भी शामिल था-उच्च न्यायालय को प्रेषित - गोवा स्कूल शिक्षा नियम - 1986 धारा 20।

विवाद प्रतिवादी संख्या 3 - स्कूल में प्रध्यानाध्यापिका के पद पर अपीलार्थी के सहायक शिक्षा की पदोन्नति से संबंधित है।

जब उक्त विद्यालय में रिक्ति निकली तो अपीलकर्ता से काफी कनिष्ठ सहायक अध्यापक को प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त कर दिया। अपीलार्थी ने विचाराधीनता के दौरान रिट याचिका दायर की, जिसके लंबित रहने के दौरान प्रायानाध्यापिका सेवानिवृत हो गई और रिट याचिका निष्फल हो गयी। पद फिर से खाली हो गया और प्रतिवादी संख्या 4 के नाम की सिफारिश की गई जो अपीलार्थी से काफी कनिष्ठ था।

शिक्षा निदेशक (डी.ओ.ई.) ने प्रतिवादी संख्या 4 के चयन को अस्वीकार कर दिया और स्कूल को अपीलार्थी के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए सूचित किया। डी.ओ.ई. की राय थी कि विद्यालय अपीलकर्ता को प्रताडित कर रहा है और स्कूल मे अस्वस्थ स्थिति पैदा कर रहा है और इस प्रकार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न गोवा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 20 के तहत स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ मे लिया जाए।

इसके बाद सरकार द्वारा स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश पारित किया था, डी.ओ.ई. ने फिर से स्कूल मे रिक्त पद भरने को कहा। डी.ओ.ई. ने गोवा स्कूल शिक्षा नियम, 1986 के नियम 74(3) (क) के प्रावधानों के अनुसार दक्षिण क्षेत्र के शिक्षा उप निदेशक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीपीसी के सदस्यों मे से एक होगा कि सभी नियमों और विनियमों का संख्ती से पालन किया जाता है- उक्त कार्यवाही को प्रतिवादी-स्कूल ने इस आधार पर रिट याचिका दायर करके चुनोती दी थी कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान था और इसलिए, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता था। हालांकि, इस तर्क को खुला रखते हुए रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी गई थी। अल्पसंख्यक संस्था और संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार डीपीसी की बैठक बुलाई जाए। अपीलकर्ता के अनुसार

डीपीसी ने एक बार फिर प्रतिवादी नम्बर 4 नाम की सिफारिश की जिसे डी.ओ.ई. ने अस्वीकार कर दिया।

अपीलार्थी ने फिर से उसे पदोन्नति के लिए विचार करने का अभ्यावेदन दिया। इसके बाद उसने रिट याचिका दायर की। स्कूल ने डी.ओ.ई. के आदेश को भी चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या - 3 स्कूल की ''अल्पसंख्यक'' स्थिति के मुद्दे पर विचार नहीं किया और माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करने योग्य है, जबकि विद्यालय प्रबंधन को रिट याचिका को अनुमति देने आवश्यकता थी। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया।

माना गया: मुकदमेबाजी के उतार-चढ़ाव भरे इतिहास और इसमें लगी लंबी अवधि को ध्यान मे रखते हुए, यह उचित होगा कि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को प्रतिवादी संख्या-3 विद्यालय की स्थिति सहित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय मे भेज दिया जाए। यह भी अभिलेख में आया है कि अपीलकर्ता 1998 मे सेवानिवृत्त हो गई है और अब उसे प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मामले पर प्रांसगिक सामग्री के आधार पर और कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

(पैरा 11)(154-घ-च)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1951/2007

गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.09.2003 के निर्णय और आदेश रिट याचिका संख्या 202-206/1998

पी. वेणुगोपाल, वेनुकुमार और हर्षद वी. हमीद (मेसर्स के.जे. जॉन एण्ड कंपनी) अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ भटनागर और रेखा पिल्ली प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सी.के. ठक्कर द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 1998 की रिट याचिका संख्या 202 और 206 दो याचिकाओं में बॉम्बे (गोवा बेंच) उच्च न्यायालय द्वारा 10 सितंबर, 2003 को दिए गए एक कॉमन फैसले से उत्पन्न हुई है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती अलेअम्मा मथाई अल्मेडा-अपीलकर्ता, को वर्ष 1965 में सेंट एंथोनी हाई स्कूल, अस्सोलना सालसेटे, गोवा में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त स्कूल 1981 में प्रधानाध्यापक पद की एक रिक्ति निकली थी। एक सहायक अध्यापिका श्रीमती ईरान फरेरा, जो अपीलकर्ता से बहुत कनिष्ठ थीं, को उक्त पद पर अपीलकर्ता के दावे को दरकिनार करते हुए प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 24 जून, 1985 को रिट याचिका संख्या 56/1985 दर्ज कराते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय, गोवा खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जब याचिका सुनवाई के लिए आई, तब तक श्रीमती फरेरा सेवा से सेवानिवृत्त हो गईं, याचिका निरर्थक हो गई और तदनुसार खारिज कर दी गई। लेकिन पुनः प्रधानाध्यापक के पद की रिक्ति को देखते हुए प्रधानाध्यापक के पद के लिए एक उम्मीदवार का चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में 'डीपीसी) की बैठक हुई और एक मिस्टर कॉन्सेप्शन अल्मीडा - प्रतिवादी नंबर 4 को 1 मई, 1985 की सिफारिश के तहत उक्त पद के लिए चुना गया और अनुशंसित किया गया। उक्त प्रतिवादी संख्या 4

अपीलकर्ता से कनिष्ठ था। इस प्रकार, एक बार फिर अपीलकर्ता के दावे को दरकिनार कर दिया गया, संभवतः इस आधार पर कि अपीलकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ थीं।

4. शिक्षा निदेशक, गोवा सरकार-प्रतिवादी नंबर 2 ने, हालांकि, स्कूल द्वारा प्रधानाध्यापिका के पद पर प्रतिवादी नंबर 4 के चयन को अस्वीकार कर दिया। दिनांक 18/21 अक्टूबर, 1985 को एक सूचना द्वारा, शिक्षा निदेशक ने प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल के प्रबंधक को सूचित किया कि वह प्रधानाध्यापक (प्रधानाध्यापिका) के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के मामले पर, प्रतिकूल टिपपणी को दरकिनार करते हुए पुनर्विचार करें। 11 नवंबर, 1985 को एक पत्र द्वारा, प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल ने शिक्षा निदेशक को सूचित किया कि प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्टों के अलावा, हेड मास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता पर विचार नहीं करने के अन्य ठोस कारण थे। शिक्षा निदेशक की सूचना के आलोक में, डीपीसी का पुनर्गठन किया गया और फिर से हेड मास्टर के पद के लिए प्रतिवादी नंबर 4 का चयन किया गया। 25 अप्रैल, 1986 को शिक्षा निदेशक ने एक बार फिर डीपीसी द्वारा की गई सिफारिश को खारिज कर दिया। 24 फरवरी, 1987 को एक पत्र द्वारा, शिक्षा निदेशक ने प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल को नियमित आधार पर प्रधानाध्यापक के पद को भरने के लिए कहा। सूचना के 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने को कहा, और ऐसा न करने पर नियमों के अनुसार स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पत्र के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल के प्रबंधन ने निर्धारित अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की। 22 सितंबर, 1987 को, शिक्षा निदेशक ने शैक्षणिक वर्ष 1987-88 के लिए स्कूल के रखरखाव अनुदान में 25 प्रतिशत की कटौती का जुर्माना लगाया जब तक निदेशालय द्वारा प्रतिवादी नंबर 3- स्कूल को जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

5. निदेशालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गोवा, दमन और दीव के समक्ष प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल द्वारा की गई अपील को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि स्कूल को शिक्षा निदेशालय द्वारा उचित कारण बताओ नोटिस आदेश पारित करने से पहले नहीं दिया गया था और इसलिए, रद्द किए जाने योग्य था। तीसरे प्रतिवादी ने तब कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और इस आधार पर प्रतिवादी नंबर 4 को हेड मास्टर के रूप में नियुक्त करने के लिए शिक्षा निदेशक की मंजूरी मांगी कि प्रतिवादी नंबर 3 प्रबंधन ने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था, जो वरिष्ठ था को खारिज कर दिया था। हालाँकि, निदेशक, सहमत नहीं हुए और स्कूल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि एक दशक से अधिक समय तक अपीलकर्ता को परेशान करने के कारण अस्वस्थ स्थिति पैदा करने के लिए गोवा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 20 के तहत स्कूल का प्रबंधन क्यों नहीं अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए। स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुचित माहौल बनाना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा। प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल द्वारा 8 मई 1993 को उत्तर प्रस्तुत किया गया।

6. 10 जून 1994 को, सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश पारित किया। प्रतिवादी नंबर 3 ने एक रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी जिसे स्वीकार कर लिया गया और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया। अपीलकर्ता ने उक्त रिट याचिका में हस्तक्षेप की मांग की जिसे खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के समक्ष उनकी विशेष अनुमति याचिका का निपटारा इस आधार पर कर दिया गया कि शिक्षा विभाग को उनकी शिकायत पर गौर करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

7. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार, शिक्षा निदेशक ने प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को 1985 में खाली हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद को भरने के लिए डीपीसी की बैठक फिर से बुलाने के लिए कहा। शिक्षा ने नियम 74(3) के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण क्षेत्र को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। (ए) गोवा स्कूल शिक्षा नियम, 1986 के तहत डीपीसी के सदस्यों में से एक होना यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। उक्त कार्रवाई को तीसरे प्रतिवादी-स्कूल द्वारा 1997 की रिट याचिका संख्या 124 को बॉम्बे हाई कोर्ट, पणजी में गोवा बेंच में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान था और इसलिए, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता था। हालाँकि, रिट याचिका को इस तर्क को खुला रखते हुए वापस लेने की अनुमति दी गई थी कि यह 'अल्पसंख्यक संस्था थी और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित थी। अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार डीपीसी की बैठक बुलाई जाए। अपीलकर्ता के अनुसार, डीपीसी ने एक बार फिर प्रतिवादी नंबर 4 के नाम की सिफारिश की, जिसे शिक्षा निदेशक ने अस्वीकार कर दिया।

8. 18 नवंबर, 1997 को, अपीलकर्ता ने शिक्षा निदेशक का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिवादी नंबर 3-स्कूल को 1 मई, 1985 से उसे स्कूल की प्रधानाध्यापिका के रूप में पदोन्नत करने का आदेश दिया, जब पद खाली हो गया था और सभी परिणामी परिलाभ दिलवाने का आदेश दिया। चूँकि इस मामले में कुछ नहीं किया गया और शिक्षा निदेशक द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, अपीलकर्ता ने रिट याचिका संख्या 202/1997 दायर की। प्रतिवादी संख्या-3-स्कूल ने भी निदेशक के आदेश के खिलाफ रिट याचिका संख्या 206/1998 दायर की। पढाई के। इस बीच, हालांकि, अपीलकर्ता 1998 में सेवानिवृत्त हो गई। दोनों रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं और वर्तमान अपीलों में दिए गए आदेश के

अनुसार, उनका निपटारा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 की 'अल्पसंख्यक' स्थिति के मुद्दे पर विचार नहीं किया। स्कूल ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जा सकती है, जबकि स्कूल प्रबंधन की रिट याचिका को अनुमति दी जानी आवश्यक थी। तदनुसार, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में नियम को खारिज कर दिया गया और स्कूल प्रबंधन द्वारा दायर याचिका में नियम को पूर्ण बना दिया गया। अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

10. यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द और अपास्त किए जाने योग्य है। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता 1965 में सबसे वरिष्ठ सहायक अध्यापिका नियुक्त की गई थी और उनकी वरिष्ठता के बावजूद, उन्हें प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, जबकि 1981 में वास्तविक रिक्ति उत्पन्न हुई थी। जब श्रीमती फरेरा को प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अपीलकर्ता से कनिष्ठ थी, अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर करके कार्रवाई को चुनौती दी। उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि अपीलकर्ता द्वारा व्यक्त की गई शिकायत उचित थी और तदनुसार नियम निसी जारी करके याचिका को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, इस बीच, श्रीमती फरेरा सेवानिवृत्त हो गईं और उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि यह निरर्थक हो गई है। जाहिर है, इसलिए, अपीलकर्ता को श्रीमती फरेरा की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से, डीपीसी ने फिर से अन्याय किया और उसका चयन नहीं किया। प्रतिवादी नंबर 4, जो अपीलकर्ता से बहुत कनिष्ठ था, का चयन किया गया और प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्ति के लिए उसके नाम की सिफारिश की गई। हालाँकि अपीलकर्ता को न्याय दिलाने के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा कई बार सिफारिशों को

खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी नंबर 3- स्कूल द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था। रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल की स्थिति तय नहीं की और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी। शिकायत यह थी कि उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल की स्थिति सहित सभी बिंदुओं पर निर्णय लेना चाहिए था।

11. हमारी राय में, मुकदमेबाजी के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास और इसमें लगी लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को सभी सवालों पर निर्णय लेने तथा प्रतिवादी संख्या-3 स्कूल का दर्जा निर्णित करने हेतु उच्च न्यायालय में भेज दिया जाए। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि अपीलकर्ता 1998 में सेवानिवृत्त हो गई है और अब उसे प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठता। मामले पर प्रासंगिक सामग्री के आधार पर और कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

12. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। उच्च न्यायालय सभी प्रश्नों पर विचार कर सकता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3-स्कूल द्वारा कथित तौर पर अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने का प्रश्न भी शामिल है। चूंकि मामला बहुत पुराना है, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर यथासंभव शीघ्र उचित निर्णय लिया जाए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

डी.जी. अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मदनलाल बालोटिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।